



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31032021-226261
CG-DL-E-31032021-226261

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1304]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 30, 2021/चैत्र 9, 1943

No.1304]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 30, 2021/CHAITRA 9, 1943

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 24 मार्च, 2021

का.आ.1409(अ).—केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाईनस (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 6 कि उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र सं० 131, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii), तारीख 14 जनवरी, 2021 में प्रथम पृष्ठ पर प्रकाशित भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 151 तारीख 13 जनवरी, 2021, और भारत के राजपत्र सं० 132, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii), तारीख 14 जनवरी, 2021 में प्रथम पृष्ठ पर प्रकाशित भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 152 तारीख 13 जनवरी, 2021 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

1. का० आ० 151 के प्रथम पृष्ठ पर पांचवी लाईन में “विनिर्दिष्ट भूमि में तमिलनाडु राज्य में” के स्थान पर “विनिर्दिष्ट भूमि में झारखंड राज्य में” पढ़ा जाए।

1. का० आ० 152 के प्रथम पृष्ठ पर पांचवी लाईन में “विनिर्दिष्ट भूमि में तमिलनाडु राज्य में” के स्थान पर “विनिर्दिष्ट भूमि में झारखंड राज्य में” पढ़ा जाए।

[फा.सं.Expl.-11030(30)/1/2021-EXPL-I-PNG(E-36610)]

अवधेश कुमार मेहता, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS
ERRATUM

New Delhi, the 24th March, 2021

S.O. 1409(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Number S.O. 151 dated 13th January, 2021, published at page 1 in part II, Section – 3, Sub – Section (ii) of the Gazette of India No. 131 dated 14th January, 2021, and Number S.O. 152 dated 13th January, 2021, published at page 1 in part II, Section – 3, Sub – Section (ii) of the Gazette of India No. 132 dated 14th January, 2021 namely:-

1. S.O. 151 dated 13th January, 2021, at page 1 in 5th line for “विनिर्दिष्ट भूमि में तमिलनाडु राज्य में” read “विनिर्दिष्ट भूमि में झारखंड राज्य में”
1. S.O. 152 dated 13th January, 2021, at page 1 in 5th line for “विनिर्दिष्ट भूमि में तमिलनाडु राज्य में” read “विनिर्दिष्ट भूमि में झारखंड राज्य में”

[F.No. Expl-11030(30)/1/2021-EXPL-I-PNG(E-36610)]

AWDHESH KUMAR MEHTA, Under Secy.